न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2006/00112 (120/2006) 223 आरटीएक्ट

1. भागसिंह } पुत्रगण दूदाराम अकवाम जाट साकिन झिलोदा तहसील भादरा
2. बलवीरसिह } –अपीलाण्ट

बनाम

1. भादर } पुत्रगण भगवानाराम अकवाम जोगी साकिन बड़वा तहसील व जिला
2. दलीप } भिवानी (हरियाणा)
3. किरणदेवी पुत्री भगवानाराम जाति जोगी साकिन बड़वा तहसील व जिला भिवानी ।
4. फूलादेवी बेवा भगवानाराम जाति जोगी साकिन बड़वा तहसील व जिला भिवानी।
5. सुरजमल पुत्र. अमीलाल जात जाट साकिन झिलोदा तहसील भादरा जिला भिवानी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील भादरा –रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्र. सं. 798/2002 बअनवानी भादरराम आदि बनाम सुरजमल आदि

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 06

निर्णय दिनांक:– 16.07.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष एक अर्जीदावा प्रस्तुत कर रेही झिलोदी की कुल 7.841 है. भूमि को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने व सुरजमल व दुदा का कोई हक व हिस्सा नहीं होने की घोषणा करने, इनका नाम कलमजन करने एवं इनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा जिसमें प्रतिवादी सं0 2 ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.09.2006 से वाद वादी एवं काउण्टर क्लेम दोनों खारिज किये जिससे व्यथिति होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है तथा जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 में भी उसका नाम दर्ज है और उस दस्तावेज व कब्जा के आधार पर प्रतिवादी को कोई काश्तकारी अधिकार प्राप्त होता है या नहीं इस संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय में दावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये थे अधीनस्थ न्यायालय ने वे दोनों ही खारिज कर दिये। प्रतिवादी ने काउण्टर क्लेम पेश किया जिसमें अंकित किया कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में 1978 में अनकोरी जो कि वादी की दादी थी के विरूद्ध दावा पेश कर 22.8.1979 डिक्री करवाई और उसकी अनुपालना में अनकोरी का नाम कलमजन हुआ। काउण्टर क्लेम में प्रतिवादी ने वर्तमान दर्ज हिस्सा 433 हिस्सा के बजाय 512 हिस्सा दर्ज किया जावे। तनकी नं. 3 व 4 का निर्णय व डिक्री खिलाफ नियम वाक्यात व रूएदाद मिसल है तथा काबिल मन्सूखी हैं। मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं किया है तथा अदालत मातहत का निर्णय मनमाना स्वेच्छाचारी नियम विरूद्ध है। अपीलाण्ट के दस्तावेजों पर का कोई विवेचन नहीं किया और उनको न मानने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन करते हुए अपील खारिज करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें अपीलाण्टगण के पिता दूदाराम प्रतिवादी सं0 2 थे जिन्होंने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने दावा एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर 5 तनकियात कायम की और तनकियात का विवेचन करते हुए दावा एवं काउण्टर क्लेम दोनो खारिज किये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि उसके नाम 512 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जो गलत तौर पर 433 हिस्सा दर्ज कर दिया इसलिए प्रतिवादी उत्तरदाता 25.12 यानि 512 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। अपीलाण्ट ने अपील में तनकी नं. 3 व 4 के निर्णय को प्रश्नगत किया है। तनकी नं. 3 यह थी कि "आया प्रतिवादी नं. 2 कुल वाद भूमि 7.841 है. में 512 हिस्सा का तथा प्रतिवादी नं. 1 सुरजमल 108 हिस्सा का खातेदार काश्त है और उक्त भूमि में वादी का कोई हक व हिस्सा है।" तनकी नं. 4 यह थी कि "खसरा नं. 335 की 6.475 है0 भूमि का खाता व लगान तन्हा प्रतिवादी सं0 2 दूदाराम के नाम से अलग से दर्ज करवा पाने का प्रतिवादी अधिकारी है" इन दोनों तनकियात को सिद्ध करने का भार प्रतिवादगण पर था। विचारण न्यायालय ने तनकी नं. 3 को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी सं0 2 ने ऐसा कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह सिद्ध हो कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का 512 हिस्सा हो। खसरा नं. 116 की 42 बीघा भूमि थी जो जरिये डिक्री प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज हुई है। खसरा नं. 301 की भूमि खसरा नं. 116 से बनी हो ऐसा कोई रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है। खसरा नं. 335 में वर्तमान जमाबंदी अनुसार 6.475 है. भमि दर्ज है। जो 25.12 बीघा के बराबर है। परन्तु जमाबंदी में प्रतिवादी सं0 सुरजमल का 108 हिस्सा दर्ज है। अपीलाण्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह किस प्रकार दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज किस आधार पर हुए ये स्पष्ट नहीं किया है। केवल सेटलमेंट की गलती कहने से गलती

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 को अपीलाण्ट के पक्ष में सिद्ध होना नहीं माना है। तनकी नं. अपीलाण्ट/प्रतिवादी नं0 2 के विरूद्ध मानी है जो विधि सम्मत है। तनकी नं. 4 के संबंध में चूंकि तनकी नं. 3 के निर्णय के आधार पर ही तनकी नं0 4 का निर्णय होना है। अपीलाण्ट ने खसरा नं. 335 की भूमि को अपनी भूमि सिद्ध नहीं किया है। अतः तनकी नं. 4 की अपीलाण्ट/प्रतिवादी नं. 2 के विरूद्ध निर्णित की गई है जो विधि सम्मत है। तनकी नं. 1 का निर्णय करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम को सिद्ध नहीं माना इसके अलावा अपील में अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं0 2 वारिसान द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम साबित होता हो। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रूटि नहीं है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.09.2006 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार हो व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

16/7/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official